FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.....मुकाम.....

गणपतसिंह .....बनाम..... मोहर कंवर व अन्य

मुकदमा 88/188 दा.क. नाबी. नं. 12/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2020	~~प्रार्थी~~/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री ..... नरपतपुरी ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/~~अपील~~ धारा ..... 88/188 ..... राजस्थान काश्तकारी/~~भू-सजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/02/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतू	
25/02/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या-1 व 2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1-गणपतसिंह पुत्र डीपसिंह जाति-राजपूत निवासी- लाधाणियों की ढाणी बायतू पनजी तहसील-बायतू जिला-बाड़मेर, PW-2- मगाराम पुत्र जेठाराम जाति- जाट निवासी- लाधाणियों की ढाणी बायतू पनजी तहसील-बायतू, PW-3- चेनसिंह पुत्र श्री सुरतानसिंह जाति-राजपूत निवासी-लाधाणियों की ढाणी बायतू पनजी तहसील-बायतू तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-2 स्वयं DW-1- रेवतु कंवर पुत्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी-लाधाणियों की ढाणी बायतू पनजी तहसील बायतू जिला-बाड़मेर के बयान- पत्रावली	रेवतु कंवर मगाराम चेनसिंह (Final Arg.) 25.2.2020

सहायक कलक्टर बायतू

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:11:27 IST
Reason: SelfAttested

गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों
के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, प्रतिवादी
1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत ईश्वालिया जवाबदावा
वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों को
अवलोकन किया गया। एवम पत्रावली के संलग्न दोनों
पक्षों का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। बाद अवलो-
कन वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री
पत्र जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, इस
नम्बर से बंद हो, दाखिल दफ्तर हो।

विरुद्धाल
25.2.2020

सहायक कलक्टर (SDO)

सेवा में

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:11:27 IST
Reason: SelfAttested

यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 12/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. गणपतसिंह पुत्र दीपसिंह
जाति–राजपुत, निवासी–लाधाणियों की ढ़ाणी, बायतु पनजी
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. मोहरकंवर पत्नि मूलसिंह
2. खेतूकंवर पुत्री मूलसिंह पत्नि गिरधरसिंह, जाति–राजपुत, निवासी–लाधाणियों की ढ़ाणी, बायतु पनजी तहसील–बायतु,जिला–बाड़मेर
3. श्रीमान तहसीलदार बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– **दिनांक 25/02/2020**

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज अचलसिंह पुत्र रामसिंह के खातेदारी का खेत मौजा लाधाणियों की ढ़ाणी, पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 654 रकबा 365.04 बीघा व खसरा नम्बर 655 रकबा 1.06 बीघा आया हुआ था, जिसमें स्वर्गीय अचलसिंह के तीन पुत्र दीपसिंह, मूलसिंह व विजयसिंह होने के कारण वादग्रस्त आराजी में तीनों का 1/3–1/3 हिस्सा जरिये फौतगी अचलसिंह के पश्चात राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। और तीनों भाईयों ने जरिये सहमति से वादग्रस्त आराजी से खेत खसरा नम्बर 954 व 956 में आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया, जिसके तहत विजयसिंह के हिस्से में खरारा नम्बर 654 विभक्त खसरा नम्बर 915/654 रकबा 60.00 बीघा व खसरा नम्बर 917/654 रकबा 61.14 बीघा कुल रकबा 121.14 बीघा (19.6911 हैक्टेयर) बहैसियत खातेदार दर्ज हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के काका विजयसिंह का दिनांक 09.09.2019 को निधन हो गया। विजयसिंह लाऔलाद फौत हुए, जिनके वारिसान में कोई जाईन्दा सन्तान मौजुद नहीं है। जिस कारण उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6, 7, 8, व 10 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण विजयसिंह के सगे भाई की जायन्दा सन्तान होने के कारण विजयसिंह के उत्तराधिकारी है और वादग्रस्त आराजी में विजयसिंह की मृत्यु के पश्चात् खसरा नम्बर 915/654 रकबा 60.00 बीघा व खसरा नम्बर 917/654 रकबा 61.14 बीघा कुल रकबा 121.14 बीघा (19.6911 हैक्टेयर) में वादी व प्रतिवादी का हिस्सा घोषित करवाने हेतु वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की त[illegible] की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने उपस्थित होकर, इकबाली जवाब मय काउन्टर क्लेम [illegible] वादीगण द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:19:27 IST
Reason: SelfAttested

25/2/2020

वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए कहा कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वर्गीय विजयसिंह के वैध उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कभी कब्जा रहा नही रहा, विजयसिंह के लाऔलाद फौत होने तथा वादी व प्रतिवादी गण के परिवार में वादी के अलावा अन्य कोई पुरूष सदस्य नहीं होने के कारण विजयसिंह की सेवा चाकरी वादी द्वारा ही की गई, विजयसिंह के भाई मूलसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है। तथा प्रतिवादी संख्या 02 खेतूकंवर का भी विवाह हो गया है, जो विवाह भी भाई होने के नाते वादी द्वारा ही किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 मूलसिंह के हिस्से की जमीन पर काबिज है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 व 02 विजयसिंह के हिस्से की जमीन में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है तथा विजयसिंह के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 915/654 रकबा 60.00 बीघा व खसरा नम्बर 917/654 रकबा 61.14 बीघा कुल रकबा 121.14 बीघा (19.6911 हैक्टेयर) वादी की खातेदारी में होना घोषित की जाती है तो हम प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं हैं। हम अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करती हैं।

पत्रावली में कोई विवाद का बिन्दु न होने के कारण तनकियात कायम न कर वादी व प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु पत्रावली रखी गई, वादी ने अपनी साक्ष्य में PW–1 गणपतसिंह पुत्र दीपसिंह, PW–2 मगाराम पुत्र जेठाराम, PW–3 चैनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं व DW–1 खेतूकंवर पुत्री मूलसिंह ने शपथ पत्र पेश किये। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया तथा वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया व वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह स्वयं PW–1 गणपतसिंह पुत्र दीपसिंह, PW–2 मगाराम पुत्र जेठाराम, PW–3 चैनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं व DW–1 खेतूकंवर पुत्री मूलसिंह के बयानो का भी अवलोकन किया गया जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वयं व उनके द्वारा प्रस्तुत गवाहान के न्यायालय में हुऐ संशपथ बयानो से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का कब्जा काश्त है एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते पर वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबाली जवाब मय काउन्टर क्लैम स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद वादी के पक्ष में निर्णित किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 915/654 रकबा 60.00 बीघा व खसरा नम्बर 917/654 रकबा 61.14 बीघा कुल रकबा 121.14 बीघा (19.6911 हैक्टेयर) मौजा लोधाणियो की [illegible] मण्डल बायतु पनजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर में विजयसिंह का [illegible] पुत्र दीपसिंह खातेदारी में होना घोषित किया जाता है तथा स्थाई [illegible] व

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:11:27 IST
Reason: SelfAttested

25.2.2020

तिवादीगण के विरूद्व इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी व हस्तक्षेप व बाधा कारित न करे तदनुसार तहसीलदार बा[illegible] को यह आदेश दिया जाता है कि माफिक निर्णय व डिक्री वादी का हिस्सा खातेदारी में अंकित करते हुए नक्शा व राजस्व रेकर्ड में भी अमलदरामद करें। माफिक निर्णय के डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तत्पश्चात पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनाक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:11:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गणपतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति–राजपुत, निवासी–लाधाणियों की ढाणी, बायतु पनजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. मोहरकंवर पत्नि मूलसिंह वगैरा जातियान–राजपुत, निवासी–लाधाणियों की ढाणी, बायतु पनजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक :–25.02.2020

राजस्व वाद संख्या–12/2020.

वादी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.02.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 915/654 रकबा 60.00 बीघा व खसरा नम्बर 917/654 रकबा 61.14 बीघा कुल रकबा 121.14 बीघा (19.6911 हैक्टेयर) मौजा लाधाणियों की ढ़ाणी, पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर में विजयसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा वादी गणपतसिंह पुत्र दीपसिंह की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास
25.2.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:11:27 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

1. गणपतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति–राजपुत, निवासी–लाधाणियों की ढाणी, बायतु पनजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहरकंवर पत्नि मूलसिंह
2. खेतूकंवर पुत्री मूलसिंह पत्नि गिरधरसिंह, जाति–राजपुत, निवासी–लाधाणियों की ढाणी, बायतु पनजी तहसील–बायतु,जिला–बाड़मेर
3. श्रीमान तहसीलदार बायतु

विवेक व्यास
25.2.2021

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:11:27 IST
Reason: SelfAttested